रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-631/2026/1769/22-2-2025-17(1055)/2025

लखनऊ: दिनांक: 03 जून, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी शान्ती देवी (बन्दी सं0-9560/2020) पत्नी दयाराम, जो जगदीशपुर, थाना-महराजगंज, जनपद-फैजाबाद/अयोध्या की निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-598/1997, भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, फैजाबाद के दण्डादेश दिनांक 10.06.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 27-09-2016 द्वारा महिला बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। महिला बंदी द्वारा दिनांक 01.02.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष, 09 माह, 13 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 00 माह, 18 दिन की सजा भोगी जाने, सन्तोषजनक जेल आचरण होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त महिला बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर महिला बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-631/2026/1769(1)/22-2-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, अयोध्या।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।